कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-cco_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 **(0135) -**2713724 फोन नं0**(0135)**

संख्या 265/**XXV**–12 **(P-14)** /2021 देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2026

सेवा में, पंजीकृत

श्री अे/सी श्यामवीर,
पुत्र श्री बसन्त लाल
ग्राम रतनपुरा पो0 प्रेमनगर
तहसील गदरपुर
जिला उधमसिंहनगर।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बावत।

महोदय

उपरोक्त विषयक सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड रिंग रोड देहरादून के पत्र संख्या 3706/रा0नि0आ0/आर0टी0आई0/3050–1/2021 दिनांक 13 फरवरी, 2026 के साथ संलग्न आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2026 सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) केद्वारा इस कार्यालय में दिनांक 17.02.20206 को प्राप्त हुआ है। आपके वर्णित पत्र के क्रम में इस कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैंः–

1– बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित सूचना **02 पृष्ठ संलग्न** है।
2– बिन्दु संख्या 02 से सम्बन्धित सूचना वर्तमान समय में एस0आई0आर0 शुरू नहीं हुआ है।
3– बिन्दु संख्या 03 से सम्बन्धित सूचना वर्तमान समय में एस0आई0आर0 शुरू नहीं हुआ है।
4– बिन्दु संख्या 04 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
5– बिन्दु संख्या 05 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

यदि आप उपरोक्त प्रदान करवायी जा रही सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
BASANT SINGH RAWAT
Date: 23-02-2026
11:20:58

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0नं0–9897995591

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[1] द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[2][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

[3][(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

[4][**192. सदस्यों की निर्रहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय**—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

193- अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

* * * * * *

भाग 15

निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना—(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण [5]*** एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

---

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।
2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) अंत:स्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (11-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया— [1]* * * * *

(3) [2]***धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए प्रस्ताव पर करे ।

[3][भाग 2क

आफिसर

13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर—(1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर गा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा।

[4][**13कक. जिला निर्वाचन आफिसर**—(1)[5]*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा:

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं।

13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—(1)[6][[7][जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

---

1. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया ।
2. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
3. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 9 द्वारा (1-3-1956 से) अंत:स्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित ।
5. 2004 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा (29-10-2003 से) "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्रमाणित
B Rawat
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रवाहक / ई–मेल

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 3706 / रा0नि0आ0 / आर0टी0आई0 / 3050–1 / 2021 **दिनांक 16 फरवरी, 2026**

"सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता श्री अे/सी श्यामवीर पुत्र श्री वसन्तलाल, ग्राम–रतनपुरा, पो0–प्रेमनगर, तह0–गदरपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 11.02.2026 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में दिनांक 13.02.2026 को प्राप्त हुआ है।

चूँकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र को मूलरूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचना नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7302254903

संख्या– 3706 / रा0नि0आ0 / सू0का0अ0 / 3050–1 / 2021 तद्दिनांक। (स्पीडपोस्ट)

प्रतिलिपिः– श्री अे/सी श्यामवीर पुत्र श्री वसन्तलाल, ग्राम–रतनपुरा, पो0–प्रेमनगर, तह0–गदरपुर, जिला– ऊधमसिंह नगर, मो0–9997168342, पिन–263152 को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

R-1528 | 13.06.2026
F - 3050-1/2021

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA ◐ 2024 ◐ 36AB 788200

विक्री क्र. 476/12 रु. 100/- दिनांक :- 12/6/2025

उपकोषागार कार्यालय, तळोदा
मुद्रांक विभाग
06
उपकोषागार अधिकारी, तळोदा

एस. एस. मगरे
स्टॅम्प वेन्डर प.नं. १०/९७
तळोदा जि. नंदुरबार

नाव :- अे/सी भारत सरकार मिन्ट मुद्रा करन्सी क्राऊन रुलींग ओनर ॥
अे/सी कुंवर केश्रीसिंह मातुश्री जमनाबा पिताश्री टेटियाभाई कानजीभाई अे/सी ॥ भारत सरकार ॥
गाँव :- बर्थ प्लेस गाम कटासवाण ता.पो. व्यारा जि. सुरत (हाल तापी) ॥ गुजरात ईस्टेट भारत इंडीया ॥

हस्ते :- ॥ **अे/सी श्यामवीर माताश्री मीरादेवी पिताश्री बसन्तलाल दादाश्री डोरीलाल** ॥
॥ गाव : रतनपुरा पोस्ट प्रेमनगर तह. गदरपूर जि. उधमसिंह नगर ॥
॥ उत्तराखण्ड ईस्टेट ॥ ॥ भारत इन्डिया ॥

अे/सी श्यामवीर बसन्तलाल नि.डा.अं.

श्री बडोनी

13.2.2026
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

।। स्वकर्ता पितु के जय।।

।। हेवन्स लाईट अवर गाईड।।

।। नमूने क।।

।। देखिये 3 (1)।।

।। सूचना प्राप्त करने का आदेश पत्र।।

प्रति

लोक सूचना अधिकारी

चुनाव आयोग उत्तराखण्ड निर्वाचन भवन

लाडपुर मंसूरी वाईपास (रिंग रोड)

देहरादून 248008 उत्तराखण्ड

(क) मालिक परिवार का नाम अे/सी श्यामवीर माता श्री मीरा देवी पिता श्री बसन्त लाल

(ख) मालिक परिवार का पता– ग्राम रतनपुरा पो० प्रेमनगर तह गदरपुर जिला उधम सिंह नगर–263152 भारत इण्डिया उत्तराखण्ड

(ग) महिती सूचना विगत

1)– भारत देश में जो क़ार्यभार आप संभाल रहे है एंव देश की सेवा कर रहे है तो क्या ये संस्था है या कम्पनी है यह किस सरकार में पंजीकृत है केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, या भारत सरकार में आपको जो वेतन दिया जाता है वह आपको कौनसी सरकार के माध्यम से मिलता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या, भारत सरकार इसका दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि सील मोहर के साथ प्रदान करे। Article-324(6) & धारा-136

2)– आप जो देश एंव राज्यों में SIR करवा रहे है वह किस के आदेश से करवा रहे है क्यो और किस के लिये करवा रहे है भारतीय नागरिको के लिये या मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी के लिये इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सील मोहर के साथ उपलब्ध करवाये। EC-27-10-25 order copy

3)– भारत देश में जो SIR की प्रतिक्रिया चल रही है यदि कोई व्यक्ति उसमें कोई भी अपनी निजी जानकारी नही देता है तो उसकी नागरिकता जायेगी या वोटिंग का अधिकार जायेगा एंव आपकी तरफ से उस पर क्या करवाई होगी और किस पर होगी भारतीय नागरिको पर या भारत के मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी पर इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये सील मोहर के साथ।

4)– भारतीय नागरिक व भारत के मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी की परिभाषा क्या है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये सील मोहर के साथ। citizenship Act 1955

5)– आप जो भारत इण्डिया देश एंव राज्य में चुनाव करवाते है वह आप किसके आदेश से करवाते है एंव क्यो और किस के लिये क्या ये भारतीय नागरिक के लिये होता है या भारत के मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी के लिये होता है इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सील मोहर के साथ उपलब्ध करवाये। Article-324 & 329

(घ) मांगी हुई सूचना ऊपर मुजव है।

(ड) अन्य विगत मांगी गई सुचना आपकी कचहरी को लगती है।

(च) मैं आपको बताता हूँ मांगी गई सूचनाएँ सदर कायदे की कलम 7 अथवा 8 की मुजव सूचना जाहिर करने में से मुक्ति दी हो ऐसे वर्ग अंतर्गत लिये नहीं और हमारी उत्तम जानकारी के हिसाव से आपकी कचहरी को लगती है।

(छ) कृपया करके सूचना अधिकार कायदा अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय से सूचना शीघ्र अति शीघ्र प्रदान करे।

(ज) आपके प्रथम अपील अधिकारी का नाम और कचहरी का पते सहित जानकारी दीजिये।

(झ) इससे मैं बताता हूँ कि मैं अे/सी भारत सरकार कुटुम्ब परिवार से हूं और सूचना प्राप्त करने अथोरिटी है।

।। ताज भोमि ऑनर व्यवहार आधार से।

दिनांक– 11/2/2026